कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28013/2021–22   दिनांकः 22-4-22

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक मुख्यालय

विषयः– काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन प्रक्रिया सरलीकरण एवं त्वरित क्रियान्विति हेतु जारी नवीन प्रावधान के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का परिपत्र संख्या 113 दिनांक 22.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दू संख्या 249 की क्रियान्विति हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2021–22 से संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओ यथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं विधवा, परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना में आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण एवं त्वरित क्रियान्विति हेतु प्रावधान जारी किये है। काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना अनुसूचित जनजाति की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओ हेतु स्कूटी आवेदनो की जांच एवं प्रक्रिया हेतु आप नोडल अधिकारी होने एवं अन्य स्कूटी योजनाओ के प्राप्त होने वाले आवेदनो की निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। नवीन आवेदन 15 दिवस से अधिक लम्बित रहने पर deemed/Auto Apooroval होकर नोडल स्तर पर अग्रेषित होगें एवं विद्यार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति उपरान्त अग्रेषित आवेदन 10 दिवस से अधिक लम्बित रहने पर deemed/Auto Apooroval होकर नोडल स्तर पर अग्रेषित होगें । जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र संख्या 113 दिनांक 22.04.2022 संलग्न कर लेख है कि परिपत्र में निर्देशित प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में सम्बन्धित आवेदनो का निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं विद्यालयो तथा विद्यार्थियो को इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 22/4/22
मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान–जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

(हस्ताक्षर) 22/4/22
मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2022-23/113 दिनांक-22.04.2022

परिपत्र

बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु सं.-249 की क्रियान्विति हेतु इस विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं यथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजना में आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण एवं त्वरित क्रियान्विति हेतु निम्न प्रावधान किये जाते है।

1. राजकीय/निजी महाविद्यालयों के स्तर पर नवीन आवेदन 15 दिवस से अधिक लम्बित रहने पर Deemed/Auto-Approval होकर नोडल स्तर पर अग्रेषित होगें।
2. विद्यार्थियों द्वारा आक्षेप पूर्ति उपरान्त अग्रेषित आवेदन 10 दिवस से अधिक लम्बित रहने पर Deemed/Auto-Approval होकर नोडल स्तर पर अग्रेषित होगें।
3. यदि किसी महाविद्यालय के स्तर पर निर्धारित समयावधि में निस्तारण नही किया जाता है तो Deemed/Auto-Approved आवेदनों के लिये संबंधित महाविद्यालय की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्द कार्यवाही की जावेगी।
4. Deemed/Auto-Approved होकर आये आवेदनों का ऑनलाईन जॉच/वेरीफिकेशन का कार्य संबंधित जिला नोडल (CENO) महाविद्यालय द्वारा किया जावेगा।
5. विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप का निस्तारण समय पर कर दिया जाऐ, इसके लिये संबंधित महाविद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है, लगातार मोनीटरिंग कर आक्षेप पूर्ति कराना सुनिश्चित करेगें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(46)लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2022-23/114-123 दिनांक-22.04.2022

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्यागिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, राजस्थान, जयपुर
7. समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान
8. जिला नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
9. श्री राजीव गुजराल, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, भामाशाह डाटा सेंटर, सूचना प्रौद्यागिकी एवं संचार विभाग को पोर्टल पर आवश्यक अपडेशन कराने हेतु
10. प्रभारी, वेवसाइट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते